GST Hindi Update on Drawback's Brand Rate Fixation

व्यापार और उद्योग को COVID -19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए , बोर्ड ने निर्देश संख्या 03 / 2020- Customs द्वारा दिनांक 09.04.2020 से 30.04.2020 तक एक विशेष refund और drawback disposal अभियान शुरू किया था। जिसमे की सभी pending refund और drawback को priority से निपटने का उद्देश्य था ताकि व्यापारिक संस्थाओं और विशेषकर MSME को तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

बोर्ड को निर्यातकों से Duty Drawback के brand rate के निर्धारण और वितरण में देरी के बारे में भी जानकारी मिली है। zones से प्राप्त brand rate के निर्धारण के लिए आवेदनों की age wise पेंडेंसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश छह महीने की अवधि से अधिक pending हैं।

Duty Drawback की brand rate का claim Customs और Central Excise Drawback Rule , 2017 के नियमों 6 या 7 के तहत actual incidence of duties के आधार पर किया जा सकता है। Drawback Rule , 2017 से पहले , Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 के तहत Brand Rate of duty drawback के लिए दावे दायर किए जाते थे।

Brand Rate निर्धारण के लिए ऐसे pending claims से निपटने के लिए और Claims के परिणामस्वरूप अव्यवस्था से निपटने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि pendency को दूर करने के लिए Customs Zones द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि जो भी आवेदन 31.05.2020 तक फाइल कीया गया है वह जल्से जल्द प्रदान कर दिया जाये और कोई भी claim pending ना रहे।

COVID19 को देखते हुए यह निर्णय भी लिया गया है की इस प्रक्रिया के दौरान exporters/ representative के साथ minimal physical interface रखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिएऔरआवश्यकapplications दस्तावेजों, आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस अभियान के दौरान , Claims का निपटान करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

1. सभी applications जो final Brand Rate के निर्धारण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण हैं , जिसके लिए Verification पूरा हो गया है उसका निपटारा किया जाना चाहिए।

2. provisional Brand Rate के लिए निर्यातक के अनुरोध पर भी विचार किया जाना चाहिए और उनका निपटारा किया जाना चाहिए। इसके लिए provisional AIR से सम्बंधित कोई भी pending claim का निपटारा Rule 7 of Drawback Rules, 2017 के तहत करना चाहिए।

3. ऐसे मामले जहां provisional Brand Rate के लिए कोई आवेदन न हीं किया गया है , एक विकल्प की पेशकश की जा सकती है जिससे की आवेदक provisional Brand Rate के लिए आवेदन कर सकता है और इस आवेदन को नियमों केअनुसार माना जाना चाहिए।

4. ऐसे exporters जिन्होंने normal स्कीम में application फाइल की है पर यदि वो उन 5 categories में आते हैं जिसमे की वो Revised Simplified स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं तो उन्हें एक ऑप्शन देना चाहिए जिससे वो अपना application फॉर्म change करके normal scheme से Revised Simplified scheme के लिए apply कर सके ताकि उनका procedure आसान हो जाये और उन्हें provisional brand rate जल्दी रिलीज़ हो जाएगी।

5. सभी मामलों में जहां provisional brand rate की allow की गयी है , उन्हें दो महीने के भीतर यानि 31.08.2020 तक finalised किया जाना अनिवार्य है।

6. ऐसी applications जिनमे Central Excise authorities द्वारा 01.07.2017 के बाद भी वेरिफिकेशन कर दिया गया है और Brand Rate letter issue कर दिया गया है परन्तु drawback disbursal अभी भी पेंडिंग है ऐसी verification reportsऔर fixed brand rate को Customs authority को accept कर लेना होगा और उसका फिर से वेरिफिकेशन करने की कोई आवशयकता नहीं है जब तक की कोई विशेष कारण ना हो।

7. Rule 6(1)(b) and 7(2) of Drawback Rules, 2017 के अनुसार एक्सपोर्ट किये गए गुड्स के drawback का amount और रेट को Principal Commissioner/ Commissioner of Customs उचित inquiry के बाद निर्धारित करेंगे।ऐसी applications जिनका verification अभी भी pending उनके brand rate fixation में तेजी लेन के साथ साथ व्यापार के साथ न्यूनतम संपर्क रहे इसके लिए Principal Commissioner/ Commissioner महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए जांच का संचालन कर सकते हैं । इस inquiry में वो exporter के पहले किये जाने वाली एक्सपोर्ट परफॉरमेंस, उसके प्रोडक्ट की प्रकृति, उसके द्वारा पहले किये गए rate के claims और similar प्रोडक्ट के लिए पहले किये गए claims आदि की जाँच कर सकते है। इस जाँच के आधार पर Principal Commissioner/ Commissioner एक्सपोर्टर्स के लिए provisional brand का निर्धारण कर सकते हैं। परन्तु final brand rate issue होने से पहले इस सन्दर्भ में claim को पूरी तरह से जाँच किया जायेगा और संतुष्ट होने के बाद ही final brand rate issue की जाएगी।

फील्ड फॉर्मेशन से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया जाता है कि brand rate के सम्बंधित जो भी data डीडीएम पोर्टल(DPMCus -13 औरDPM Cus-13A) में अपलोड किया गया है वह properly validatedऔर updated है।

सरकार द्वारा लिया गया यह कदम बहुत ही सराहनीय है इससे brand rate fixation से सम्बंधित सभी पेंडिंगcasesका जल्दी जल्दी निपटारा होगाऔर एक्सपोर्टर्स को इस कार्य से काफी सुविधा होगी।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.